न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या–1034/2026

मौ० इनाम बनाम आमिर खाँ उर्फ सदाकत आदि

22.05.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया।

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी स्क्रेप का काम करता है उसकी फर्म रजिस्टर्ड है जो कि सनसाईन ट्रैडर्स के नाम से है। जिसका जी०एस०टी० नंबर 09ए०एल०एस०पी० 11747एच 1 जेड०क्यू और पता खसरा नंबर 24 चक काजीवाला ज्ञान कलश रोड मेघछप्पर जो कि श्रीमान जी के क्षेत्र में आता है विपक्षीगण शातिर किस्म के व्यक्ति है झगड़ालू है व दबंग है व और सभी ने एक राय होकर के प्रार्थी से पैसे की ठगी करने के उद्देश्य से माल लिया था विपक्षीगण लगभग ढाई साल पहले मेघछप्पर वाली फर्म पर आये थे और स्क्रेप का सौदा करके पैसा दे देते थे। पहले थोड़ा–थोड़ा माल लिया और पैसे दे दिये विपक्षीगण की 2 फर्म है जो रजिस्टर्ड है अरहम व सैफ के नाम से रजिस्टर्ड है जिनका जी.एस.टी. नंबर इस प्रकार है विपक्षीगण की फर्म का जी.एस.टी. नंबर इस प्रकार है एम./एस इंटरप्राईजेज पता नंबर 15 भगवानपुर इंडस्ट्रियल स्टेट रायुपर मलिक धर्मकांटा सिकंदरपुर भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड जिसका जी.एस.टी. नंबर 05 जे.एस.ई.पी. क. 4672 पी.1 जेड 0 और दूसरी फर्म सैफ ट्रेडर्स गांव सिकंदरपुर भैंसवाल रायपुर भगवानपुर जिला हरिद्वार जिसका जी.एस.टी. नं. 05 ओ.वाई.टी.पी.एस. 2057 ए 1 जेड 0 है। प्रार्थी दोनों फर्मो के स्क्रेप दिया करते थे प्रार्थी ने डेढ़ साल पहले पक्के बिल पर और ई.वे. बिल पर विपक्षीगण की दोनों फर्मो को अरहम फर्म को 34 लाख 24 हजार 759 रूपये पैय का स्क्रेप पक्के बिल के थ्रू दिया गया है और विपक्षीगण की दूसरी फर्म सैफ ट्रैडर्स को 1 करोड़ 12 लाख 85 हजार 308 रूपये का स्क्रेप दिया गया था जो कि प्रार्थी द्वारा दोनों फर्मो को दिया गया था विपक्षीगण ने कहा था कि फैक्ट्री से 15–20 दिन के बाद पैसा आ जायेगा और तुम्हारा पैमेंट कर देगे। इसके बाद पंचायते भी हुयी परन्तु प्रार्थी पैसे हड़पने की नीयत से बहाने बनाता रहा और अब यह कह रहा है कि जो तुम्हारे से कर लो मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर पैसे मांगने जाते है तो यह कहते है कि हम तुझे झूठे केस में फंसा देंगे और जब पैसे मांगता है तो गाली गलौच भी करते है और जान से मारने की धमकी देते है। इस संबंध में प्रार्थी के पास लेजर एकाउंट है जो कि 1.1.2024 से 31.1.2026 तक है। यह लेजर एकाउन्ट अरहम इंटरप्राईजेज को दिये गये माल का है। जिसकी कुल रकम 34 लाख 24 हजार 799 रूपये अरहम इंटरप्राईजेज पर बकाया है। दिनांक 01.01.2024 से 31.01.2026 तक का प्रार्थी के पास लेजर एकाऊन्ट है जो कि प्रार्थी की सन् साईन ट्रेडर्स द्वारा सैफ ट्रेडर्स के पास कुल रकम 1 करोड़ 12 लाख 85 हजार 308 है। दोनों फर्मो को दिये गये माल के फक्के ईवे बिल की छायाप्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थी ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2026 को एस.एस.पी. के माध्यम के द्वारा डाक दिया था परन्तु कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुयी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विधिवत विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति, मूल डाक रसीद, लेजर की छायाप्रति, बिल की छायाप्रति, आधार कार्ड व अन्य प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाना हाजा की आख्यानुसार इस संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/आवेदक ने अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण के विरूद्ध आरोप लगाये है कि विपक्षीगण एक राय होकर षड़यंत्र के तहत प्रार्थी के लाखो रूपये का स्क्रैप लेकर उसका भुगतान न करके पैसे हड़प कर लिया तथा प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाने व जाने से मारने की धमकी दिया। प्रार्थी/आवेदक को मामलें के समस्त तथ्यों की जानकारी है तथा साक्षीगण आदि भी परिचित है तथा ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक हो। ऐसी दशा में मामले को परिवाद के रूप मे संचालित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित**

19–03–2015 **श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001 (45) ए0सी0सी0 50 पूर्ण पीठ** व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित विनिर्णय **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50** एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जरनल पेज 472** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं प्रस्तुत मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जॉच किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार आवेदक **मौ० इनाम** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु दिनांक 23.06.2026 को पेश हो।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर
J.O.CODE–UP1950